

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़ (राज.)  
पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 107/2023 (रा.गु.नि.)  
पंजीयन दिनांक 11.08.2023  
G.C.M.S. NO. :- 2023/107

सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

-प्रार्थी

बनाम

श्री फिरोज खां पिता मम्मू खां मुसलमान निवासी रजा कॉलोनी, निम्बाहेड़ा,  
थाना निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

-गैरसायल

कार्यवाही : अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975

उपस्थिति : 1- अभियोजन अधिकारी, राजकीय पैरोकार

निर्णय

दिनांक 29.05.2024

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा गैरसायल के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 धारा 3 के तहत इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि गैरसायल रजा कॉलोनी, निम्बाहेड़ा, थाना निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ का निवासी होकर उक्त व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति का है। दिनों-दिन इसकी आपराधिक गतिविधियां बढ़ती ही जा रही है। यह व्यक्ति नकबजनी, चोरी, जुआ-सट्टा खेलने एवं आम शान्ति भंग करने जैसे अवैध कृत्य करने संबंधी अपराध करने का आदि है। इस व्यक्ति के भय से आम



सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक जिला चित्तौड़गढ़ बनाम श्री फिरोज खां पिता मम्मू खां मुसलमान निवासी रजा कॉलोनी, निम्बाहेड़ा, थाना निम्बाहेड़ा, जिला-चित्तौड़गढ़

जनता इतनी भयभीत है कि कोई भी व्यक्ति इसके विरुद्ध गवाही देने अथवा शिकायत करने से कतराता है। अतः गैरसायल के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 धारा 3 के तहत कार्यवाही की जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को तलब कर नोटिस सुनाया गया। गैरसायल की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र सिंह सोलंकी ने अधिकार पत्र प्रस्तुत किया। गैरसायल को आगामी तारीख पेशी पर उपस्थित होने हेतु जमानत एवं मुचलके प्रस्तुत करने के आदेश दिये। गैरसायल द्वारा आदेश की पालना में मुचलका एवं जमानत पत्र प्रस्तुत किये जिसे बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात् गैरसायल ने मौखिक निवेदन करते हुए प्रकरण में अपने अधिवक्ता से पैरवी नहीं करवाने तथा इस्तगासे में वर्णित आरोपों को स्वीकार कर आज ही प्रकरण का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया जिस पर गैरसायल के निवेदन को स्वीकार करते हुए अभियोजन अधिकारी एवं गैरसायल की बहस सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी, पैरोकार सरकार का मुख्य कथन यह रहा कि गैरसायल आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, दिनों-दिन इसकी आपराधिक गतिविधियां बढ़ती ही जा रही है। यह व्यक्ति जुआ-सट्टा खेलने, चोरी नकबजनी एवं समाज विरोधी अवांछनीय गतिविधियों में लिप्त होने जैसे अवैध कृत्य करने संबंधी अपराध करने का आदि है। इस व्यक्ति के भय से जनता इतनी भयभीत है कि कोई भी व्यक्ति इसके विरुद्ध गवाही देने का साहस ही नहीं करता है। गैरसायल के विरुद्ध इस्तगासे अनुसार कुल 05 प्रकरण दर्ज हुए हैं:-

- |                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| 1- प्र.सं. 09/2012  | धारा 13 आर. पी. जी. ओ. एक्ट |
| 2- प्र.सं. 211/2012 | धारा 13 आर. पी. जी. ओ. एक्ट |
| 3- प्र.सं. 638/2009 | धारा 457, 380 भा. द. सं.    |
| 4- प्र.सं. 594/2010 | धारा 397 भा. द. सं.         |
| 5- प्र.सं. 623/2011 | धारा 457, 380 भा. द. सं.    |

गैरसायल को उक्त प्रकरणों में से 02 प्रकरणों में सजा हो चुकी है तथा 03 प्रकरण जैर ट्रायल चल रहे हैं। उक्त इस्तगासे के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात से गैरसायल का आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होना व किसी भी व्यक्ति द्वारा इसके भय के कारण साक्ष्य नहीं देने के संबंध में इस्तगासे में अंकित



सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक जिला चित्तौड़गढ़ बनाम श्री फिरोज खां पिता मम्मू खां मुसलमान निवासी रजा कॉलोनी, निम्बाहेड़ा, थाना निम्बाहेड़ा, जिला-चित्तौड़गढ़

तथ्यों की पुष्टि होती है। गैरसायल के विरुद्ध दर्ज उक्त प्रकरणों के तथ्यों के आधार पर उसे गुण्डा घोषित करने के पर्याप्त आधार उपलब्ध है। अतः गैरसायल को गुण्डा घोषित करते हुए इस जिले से 6 माह की अवधि के लिए निष्काषित करने के आदेश फरमाये जावे।

गैरसायल ने मौखिक रूप से इस्तगासे में वर्णित आरोपों को स्वीकार करते हुए निवेदन किया कि इस्तगासे में वर्णित सभी प्रकरण पुराने होकर उनका निस्तारण हो चुका है वर्तमान में गैरसायल ने अपने में सुधार कर मेहनत मजदूरी कर शान्तिपूर्वक अपना व अपने परिवार का जीवन-यापन कर रहा है। उक्त प्रकरणों के बाद गैरसायल के विरुद्ध किसी भी धारा के आपराधिक मामले दर्ज नहीं हुए हैं। मौहल्ले या गांव में कोई शांति भंग नहीं की है। गैरसायल के खिलाफ ऐसा कोई आपराधिक मामला निर्णित नहीं हुआ है जिससे आम जनता में भय व्याप्त हो, या आम जनता की सम्पत्ति का नुकसान हो रहा हो। गैरसायल भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय 15, 17 व अध्याय 22 के अधीन आने वाले अपराध करने की दुष्प्रेरणा में न तो लगा हुआ है और न ही ऐसे अपराध कर रहा है। गैरसायल के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई शिकायत पुलिस में दर्ज नहीं कराई है। अतः सहानुभूति का रूख अपनाते हुए प्रकरण खारिज फरमाया जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा एवं उपलब्ध अन्य अभिलेखों का गहनता से अवलोकन किया। गैरसायल के विरुद्ध सन् 2009 से सन् 2012 तक कुल 05 प्रकरण दर्ज हुए हैं जिनमें से 02 प्रकरणों में गैरसायल को सजा होकर अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है तथा 03 प्रकरण जैर ट्रायल चल रहे हैं। इस प्रकार गैरसायल जिले एवं उसके किसी भाग में धारा (2) के खण्ड (ब) के उपखण्ड 1 से 8 में वर्णित कार्य करने में रत रहा है एवं उसके दुष्प्रेरण में लगा हुआ होना पाया गया है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार करने के पर्याप्त आधार उपलब्ध है।

अतः राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत गैरसायल फिरोज पिता मम्मू खां मुसलमान निवासी रजा कॉलोनी, निम्बाहेड़ा, थाना निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ को गुण्डा घोषित किया जाता है एवं 15 दिवस के लिए जिला चित्तौड़गढ़ से निष्काषित करने का आदेश दिया जाता है। गैरसायल को पाबन्द किया जाता है कि वह दिनांक 05.06.2024 तक अपने आप को इस जिले से निष्काषित कर भीलवाड़ा जिले में प्रवेश कर ले। गैरसायल उक्त अवधि में अपनी उपस्थिति थानाधिकारी हमीरगढ़, जिला



सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक जिला चित्तौड़गढ़ बनाम श्री फिरोज खां पिता मम्मू खां मुसलमान निवासी रजा कॉलोनी, निम्बाहेड़ा, थाना निम्बाहेड़ा, जिला-चित्तौड़गढ़

भीलवाड़ा में देता रहेगा। उक्त क्षेत्र से अन्यत्र जाने से पूर्व गन्तव्य स्थान का पूर्ण पता थानाधिकारी हमीरगढ़, जिला भीलवाड़ा के यहां दर्ज कराने के पश्चात वहां से प्रस्थान करेगा। थाना क्षेत्र हमीरगढ़ में उपस्थिति के दौरान गैरसायल शिक्षण संस्थाओं, धार्मिक स्थानों मेलों, हाट बाजार, सिनेमा हाऊस व मनोरंजन के स्थानों से अपने आप को दूर रखेगा। इस अवधि में तेज धारदार हथियार, अस्त्र अथवा आयुद्ध, विस्फोटक अथवा ज्वलनशील वस्तु आदि उसके कब्जे में नहीं रखेगा।

‘निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।’

(राकेश कुमार)

